



TEQIP-III/2017-18/14

23-12-2017

कार्यालय आदेश


डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में टेकिप-III परियोजना के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये अधिदेशों (AICTE MANDATES) को लागू कराया जाना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये 10 अधिदेशों में एक अधिदेश स्टार्ट-अप से संबंधित है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी 275 अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्टार्ट-अप से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (NPIU) से बताये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर मा० कुलपति महोदय द्वारा डा० पुष्कर त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, विद्युत इंजीनियरिंग विभाग, आई० ई० टी० लखनऊ को स्टार्ट-अप समन्वयक नामित किया गया है।

(प्रो० एस० पी० शुक्ला)
समन्वयक टेकिप-III

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. स्टाफ आफिसर, मा० कुलपति, ए०के०टी०यू० लखनऊ
2. निदेशक, आई० ई० टी०, लखनऊ
3. स्टार्ट-अप समन्वयक, टेकिप-III, ए०के०टी०यू० लखनऊ
4. नोडल आफिसर (एकेडेमिक), टेकिप-III, ए०के०टी०यू० लखनऊ
5. कुलसचिव, ए०के०टी०यू० लखनऊ
6. नोडल आफिसर (वित्त) टेकिप-III, एवं वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू० लखनऊ
7. नोडल आफिसर (प्रोक्योरमेन्ट), टेकिप-III, ए०के०टी०यू० लखनऊ
8. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान


(प्रो० एस० पी० शुक्ला)
समन्वयक टेकिप-III